पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.-3247

==

उदय प्रकाश, पुत्र- स्वर्गीय देवकी नंदन प्रसाद, गाँव के निवासी-तुलसी आहार, वार्ड संख्या 1, थाना-हिसुआ, जिला-नालंदा।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, उत्पाद विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना।
3. अपर समाहर्ता, नवादा।
4. पुलिस अधीक्षक, नवादा।
5. एस.एच.ओ.-सह-प्रभारी पदाधिकारी, हिसुआ थाना, जिला-नवादा।

.... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सरोज कुमार शर्मा, एसी से एएजी-3

==

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 - धारा 56, धारा 93

बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2022 - धारा 57(3)

अपील - याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर, नवादा द्वारा पारित दिनांक 11/5/2023 के आदेश और उत्पाद आयुक्त द्वारा उत्पाद अपील मामला संख्या 117/2023 में पारित दिनांक 21/8/2023 के आदेश के खिलाफ अपील - याचिकाकर्ता की पर्ती भूमि से 4 लीटर देशी शराब बरामद हुई और इस बरामदगी के आधार पर भूमि (खाता संख्या 580, खेसरा (प्लॉट) संख्या 545, क्षेत्र 3¾ डिसमिल) को बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 2016 के तहत जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी माना गया - कथित बरामदगी उक्त भूमि से की गई थी, जो याचिकाकर्ता के आवासीय मकान से

काफी दूर स्थित पर्ती भूमि है और उक्त भूमि उनके दिवंगत माँ के नाम पर थी, जिसे जब्त करने की वैधता का निर्णय किए बिना जब्त नहीं किया जा सकता - याचिकाकर्ता ने उत्पाद अपील मामला संख्या 117/2023 के तहत जब्ती कार्यवाही के आदेश को चुनौती दी, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि क्या उक्त भूमि जब्ती के लिए उत्तरदायी है, इसे तय नहीं किया गया और दो लाख का जुर्माना लगाया गया और भूमि मालिक से प्रस्ताव प्रपत्र 'वी' स्वीकारने के बाद भूमि को रिहा करने का निर्देश दिया गया - सामग्री साक्ष्य का अवलोकन करते हुए, 4 लीटर शराब की बरामदगी के लिए जब्ती की कार्यवाही असंगत पाई गई और इस अदालत के संज्ञान में असंगत आदेश को अनुमति नहीं दी जा सकती - लगाए गए जुर्माने का भी अपराध के साथ समुचित मेल नहीं - उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नवादा के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा जब्ती मामला संख्या 82/2022 में पारित दिनांक 11/5/2023 का आदेश और उत्पाद अपील मामला संख्या 117/2023 में उत्पाद आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 21/8/2023 का आदेश निरस्त किया जाता है - राय - न्यूनतम मात्रा में बरामद शराब के लिए भूमि की जब्ती और दो लाख का जुर्माना अत्यधिक कठोर है - विवादित भूमि को रिहा किया जाए - निर्णय की प्रमाणित प्रति अतिरिक्त कलेक्टर, नवादा के समक्ष दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए और उसके दो सप्ताह के भीतर यदि संशोधित जुर्माना जमा कर दिया जाता है तो भूमि को रिहा किया जाए - यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया तो नवादा के कलेक्टर जब्ती की कार्यवाही को जारी रख सकते हैं - याचिका का निपटारा किया जाता है।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

सी. ए. वी. जजमेंट

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडेय)

दिनांक: 23-04-2024

यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अपर समाहर्ता, नवादा (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा जब्ती वाद संख्या 82/2022 में पारित दिनांक 11.05.2023 के आदेश के खिलाफ और आबकारी अपील वाद संख्या 117/2023 में आबकारी आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित दिनांक 21.08.2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

2. वर्तमान रिट याचिका दायर करके याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है: -

> *(i) आबकारी आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा आबकारी अपील वाद संख्या 117/2023 में पारित ज्ञापन संख्या 116 दिनांक 21.08.2023 वाले आक्षेपित अपीलीय आदेश को अपास्त करने के लिए एक प्रमाणिक रिट जारी करने के लिए, जिसके द्वारा और जहां इस पहलू पर विचार किए बिना कि क्या पार्टी भूमि, जिस पर 4 लीटर देशी शराब जिसमें 1/2 लीटर 8 काली पॉलीथिन थी, याचिकाकर्ता भूमि मालिक की जानकारी के बिना पड़ी थी, बिहार आबकारी अधिनियम 2016 की धारा 56 के मद्देनजर जब्त करने योग्य है या*

नहीं, बल्कि बिहार आबकारी संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 57 (बी) के तहत संशोधित प्रावधान के मद्देनजर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और याचिकाकर्ता की संबंधित भूमि को छोड़ने का निर्देश दिया, जो अत्यधिक है और कानून की नजर में उचित नहीं है।

(ii) संलग्नक-3 में निहित विद्वान अपर समाहर्ता, नवादा द्वारा जब्ती वाद संख्या 82/2022 में पारित ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 11.05.2023 के आदेश को अपास्त करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए, जिसके तहत और जिसके तहत याचिकाकर्ता के आवासीय घर से एक किलोमीटर दूर स्थित पार्टी भूमि पर रखे गए जब्त 4 लीटर देशी शराब के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे पर विचार किए बिना और पार्टी भूमि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 56 के तहत जब्त करने योग्य है और सभी पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए खाता संख्या 580, खेसरा संख्या 545 रकबा 0.2 3/4 दशमलव से संबंधित पार्टी भूमि को जब्त करने का आदेश पारित किया गया और आगे रजिस्ट्री कार्यालय से भूमि का मूल्यांकन करने और

संबंधित भूमि की नीलामी बिक्री के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

(iii) संबंधित प्रतिवादी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जुर्माना अदा किए बिना विचाराधीन भूमि को मुक्त करने का निर्देश देने के लिए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है और विचाराधीन भूमि पार्टी भूमि है, विचाराधीन भूमि पर कोई संरचना मौजूद नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता के पिता ने आवास निर्माण के लिए पार्टी भूमि खरीदी थी, लेकिन आज तक विचाराधीन भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया है और यहां तक कि प्रश्नगत पार्टी भूमि को न तो सील किया गया है और न ही जब्त किया गया है, जैसा कि बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत हिसुआ थाना कांड संख्या 110/2022 से जुड़ी प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ शामिल जब्ती सूची के अनुसार है।

(iv) कोई अन्य राहत/राहतें प्रदान करने के लिए कोई अन्य आदेश/आदेश, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हकदार पाया गया हो।

3. याचिकाकर्ता के पास अधिनियम, 2016 की धारा 93 के तहत संशोधन दाखिल करने का एक और उपाय है, उसने इस उपाय का उपयोग नहीं किया है क्योंकि

अपीलीय और संशोधन प्राधिकरण का पद एक ही अधिकारी द्वारा संचालित है। इसलिए, संशोधन अप्रभावी या समाप्त करना अव्यवहारिक होगा।

4. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता की परती भूमि से 4 लीटर देशी शराब बरामद की गई और कथित बरामदगी के आधार पर, प्रश्नगत भूमि (खाता संख्या 580, खेसरा (प्लॉट) संख्या 545, रकबा 3¾ दशमलव) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 56 के तहत जब्त करने योग्य है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित वसूली संबंधित भूमि से की गई है, जो याचिकाकर्ता के आवासीय घर से काफी दूर स्थित एक आंशिक भूमि है तथा उक्त भूमि उसकी मृतक की मां के नाम पर थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 56 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध जब्ती कार्यवाही की स्थिरता के प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लिए बिना जब्त करने योग्य नहीं है, बल्कि दिनांक 11.05.2023 को याचिकाकर्ता की खाता संख्या 580, खेसरा (प्लॉट) संख्या 545, रकबा 33⁄4 दशमलव भूमि को जब्त करने का आदेश पारित किया गया तथा संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय से भूमि का मूल्यांकन कराने तथा संबंधित भूमि की नीलामी बिक्री के लिए कदम उठाने तथा राशि सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के समक्ष उत्पाद अपील वाद संख्या 117/2023 के तहत याचिकाकर्ता की आंशिक भूमि की जब्ती के आदेश का विरोध किया है, जिसमें सभी मुद्दे उठाए गए हैं कि क्या जब्ती सूची की प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार विचाराधीन भूमि उत्पाद अधिनियम की धारा 56 के मद्देनजर जब्त करने योग्य है, इस पर निर्णय नहीं लिया गया है और बिहार उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2022 की धारा 57(3) के

मद्देनजर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और भूमि मालिक द्वारा प्रपत्र-5 में प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद संबंधित भूमि को छोड़ने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर संबंधित प्राधिकारी 15 दिनों के बाद संबंधित भूमि की नीलामी बिक्री के लिए कदम उठा सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 3-जब्ती प्राधिकारी ने बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2015 की धारा 47 और 48 (2) के वैधानिक प्रावधान को गलत तरीके से समझा है, जो कुछ मामलों में अपराध के होने की धारणा से संबंधित है, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ भी लागू नहीं होता है क्योंकि याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता के आवास से बहुत दूर स्थित उसकी खाली (पार्टी) जमीन में 4 लीटर देशी शराब की छोटी मात्रा रखने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश पारित किया जो कानून के विपरीत है क्योंकि संबंधित भूमि को छोड़ने के लिए स्व-मूल्यांकन के आधार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था जो पूरी तरह से अत्यधिक है। उन्होंने आगे कहा कि 4 लीटर देशी शराब की बरामदगी की मात्रा बहुत कम है और जुर्माना लगाया जाना किए गए अपराध के अनुपात से अधिक है और यह समानता और न्याय के जनादेश के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश में कोई दम नहीं है तथा उन्होंने कानून के विरुद्ध कार्य किया है, क्योंकि उन्होंने जुर्माना लगाने में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान का पालन नहीं किया है।

6. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। पैरा 12 में यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता की जमीन को जब्त करने के लिए जब्ती अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि रजिस्ट्री कार्यालय से जमीन का मूल्यांकन करवाया जाए और जमीन की नीलामी के लिए कदम उठाए जाएं और उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाए। जवाबी हलफनामे के पैरा 13 में यह कहा गया है कि उत्पाद आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 2) ने

याचिकाकर्ता को 2 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का अवसर देते हुए एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित किया। जवाबी हलफनामे में यह भी कहा गया है कि समय के साथ अवैध शराब के निपटान के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था, साथ ही जमीन का सत्यापन हिसुआ अंचल, नवादा के अंचल अधिकारी से कराया गया था और पाया गया था कि यह याचिकाकर्ता की मां *आशालता देवी* के नाम पर पंजीकृत है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर तर्क दिया कि संबंधित अधिकारी प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश न्यायोचित एवं विधिक है, अतः इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 4 लीटर देशी शराब की बरामदगी की मात्रा बहुत कम है और जुर्माना लगाया जाना किए गए अपराध के अनुपात से अधिक है और 4 लीटर देशी शराब की बरामदगी की मात्रा के लिए कठोर जुर्माना लगाने की अनुमति नहीं है। इस तरह के अनुपातहीन जुर्माने को लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जुर्माना लगाना 4 लीटर देशी शराब की बरामदगी के संबंध में किए गए अपराध के अनुरूप भी नहीं है। विवादित भूमि के मूल्यांकन के संबंध में विवादित आदेश में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है।

8. उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, अपर समाहर्ता, नवादा (प्रतिवादी सं. 3) द्वारा जब्ती वाद संख्या 82/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2023 तथा उत्पाद आयुक्त (प्रतिवादी सं. 2) द्वारा उत्पाद अपील वाद संख्या 117/2023 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 को निरस्त किया जाता है।

9. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि भूमि की जब्ती के लिए, बरामद की गई देशी शराब की न्यूनतम मात्रा को देखते हुए, 2,00,000/- रुपये का जुर्माना बहुत कठोर होगा और इसे घटाकर 20,000/- रुपये किया जाता है, 20,000/- रुपये जमा करने पर संबंधित भूमि को मुक्त किया जाएगा। इस निर्णय की प्रमाणित

प्रति दो सप्ताह के भीतर अपर समाहर्ता, नवादा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और उसके दो सप्ताह के भीतर यदि संशोधित जुर्माना जमा कर दिया जाता है, तो संबंधित भूमि को मुक्त कर दिया जाएगा। यदि जुर्माना माफ नहीं किया जाता है, तो अपर समाहर्ता, नवादा जब्ती की कार्यवाही जारी रखेंगे।

10. उपर्युक्त अवलोकन/निर्देश के साथ, वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

आलोक/- शहज़ाद

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।